पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/ 75 (आ०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 25.03.2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 24.01.2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹110.00 करोड़ (एक अरब दस करोड़ रूपये) मात्र में से ₹84.08 करोड़ (चौरासी करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 24.01.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹1485.25 करोड़ (चौदह अरब पिचासी करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹110.00 करोड़ (एक अरब दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त के आलोक में इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-5 के अनुरूप ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹84.08 करोड़ (चौरासी करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 24.01.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" अंतर्गत विषय शीर्ष '0009.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16-2515001980009 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 331 दिनांक 05.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/7535/पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.2020
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/7535/पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी 5

विभागीय राज्यादेश संख्या 27(रवी०) दिनांक 24.01.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय किस्त के रूप में ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायक के मानदेय हेतु आवंटित राशि की विवरणी:—

क्र०	जिला	आवंटित राशि (रूपये में)।
1	*2*	*3*
1	Arwal	0.00
2	Araria	20000000.00
3	Aurangabad	26900000.00
4	Banka	6400000.00
5	Begusarai	5000000.00
6	Bhagalpur	28400000.00
7	Bhojpur	52100000.00
8	Buxar	12700000.00
9	Darbhanga	50000000.00
10	E. Champaran	29100000.00
11	Gopalganj	32000000.00
12	Jamui	18400000.00
13	Jehanabad	12100000.00
14	Kaimur	11800000.00
15	Katihar	42600000.00
16	Gaya	10000000.00
17	Khargaria	12800000.00
18	Kishanganj	14300000.00
19	Lakhisarai	5000000.00
20	Madhepura	32500000.00
21	Madhubani	0.00
22	Muzzafarpur	40000000.00
23	Munger	14600000.00
24	Nalanda	5000000.00
25	Nawada	20000000.00
26	Patna	10000000.00
27	Purnia	13800000.00
28	Rohtas	0.00
29	Saharsa	0.00
30	Samastipur	96200000.00
31	Saran	35000000.00
32	Sheohar	5800000.00
33	Sheikhpura	2900000.00
34	Sitamarhi	40600000.00
35	Supaul	27500000.00
36	Siwan	52200000.00
37	Vaishali	7500000.00
38	W. Champaran	47600000.00
Total :-		**840800000.00**

(चौरासी करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना